संख्या– 577/26–ब0प्र0–2011–एस0एन0डी0(144)/10

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ट समाज कल्याण

लखनऊ:दिनांक 21 जून, 2011

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 में की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्त स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–375/26–ब0प्र0–2011–एस.एन.डी.(144)/2010, दिनांक 19.4.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु धनराशि रू0 1 01 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के सम्बोधन में "निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" त्रुटिवश अंकित हो गया है, के स्थान पर अब "निदेशक, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" पढ़ा जाय।

2– उक्त शासनादेश संख्या–375/26–ब0प्र0–2011–एस.एन.डी.(144)/2010, दिनांक 19.4.2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेगें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 577 (1)/26–ब0प्र0–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव